ORDER SHEET

..... of 2023

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	13.10.2023 आज दिनांक को आवेदक विनोद सहित श्री हंसराज सोनी अधिवक्ता ने एक आवेदन पत्र प्रकरण सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया। मूल प्रकरण अभिलेखागार से तलब किया जावे। प्रकरण मूल अभिलेख की प्राप्ति हेतु कुछ देर बाद पेश हो। जितेन्द्र रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेश्वर प.नि. पुनश्च– अभिलेखागार से मूल प्रकरण कमांक 319/2022 प्राप्त। प्रकरण पुनः उसी नंबर पर पुर्नस्थापित किया जावे। इसी प्रकम पर आवेदक सहित उसकी ओर से श्री हंसराज सोनी अधिवक्ता ने मय मेमो के एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 452 दप्रस का पेश किया जिसकी प्रतिलिपि एडीपीओ को प्रदान की गई। एडीपीओ की ओर से लिखित में जवाब नही देते हुये मौखिक रूप से विरोध किया। प्रार्थी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस महेश्वर द्वारा उसके स्वत्व व कब्जे का **मोटर सायकल कमांक एम.पी. 09 वी.यू. 8263** को जप्त कर थाने में रखा गया है। उक्त वाहन आवेदक के रोजाना उपयोग का है। उक्त जप्तशुदा वाहन ज्यादा दिन तक थाने पर खड़ा रहा तो उसमें यांत्रिकी खराबी आ जायेगी एवं आवेदक उक्त वाहन के उपयोग से वंचित हो जायेगा। प्रकरण का अंतिम निराकरण दिनांक 05.12.2022 को हो गया है पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नही है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर जप्त वाहन योग्य सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। आवेदन के संबंध मे उभयपक्ष को सुना गया। एडीपीओ की ओर से लिखित में जवाब नही देते हुये मौखिक रूप से विरोध किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि जप्तशुदा **मोटर सायकल कमांक एम.पी. 09 वी.यू. 8263** को थाना महेश्वर द्वारा अपराध कमांक 599/2021 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. में जप्त कर थाने में रखा हुआ है। प्रकरण में	

Date of order or proceeding	Order ...	Signature of Parties or Pleaders where necessary

संलग्न जप्ती पत्रक अनुसार उक्त वाहन ग्राम बोकलियापुरा अमीचंद नायक के खेत के पास से जप्त होना दर्शित है तथा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से आवेदक **विनोद पिता कालु** उक्त जप्त शुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा उसी के द्वारा वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया है। उक्त वाहन आवेदक के रोजाना उपयोग का है। प्रकरण का अंतिम निराकरण हो चुका है। यदि उक्त वाहन थाने पर खुली अवस्था में पड़ा रहा तो उसकी उपयोगिता में अवमूल्यन होने की पूर्ण संभावना है। यदि वाहन थाने पर रहा तो उसके खराब होने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक पर विपरीत प्रभाव ना पड़े इसलिये वाहन को आवेदक को सुपुर्दगी पर देना उचित प्रतीत होता है।

विनोद

अतः आवेदक/सुपुर्ददार का आवेदन स्वीकार किया जाता है, तथा आदेशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा यदि **1,00,000/–रूपए (एक लाख रूपये)** का सुपर्दुगीनामा निम्न शर्तो के अधीन प्रस्तुत किया जाये तो आवेदक को जप्त शुदा **मोटर सायकल कमांक एम.पी. 09 वी. यू. 8263** को सुपुर्दगी पर दिया जाये।

प्रकरण सुपुर्दगीनामा प्रस्तुति हेतु कुछ देर बाद पुनः पेश हो।

J. Rawat

जितेन्द्र रावत
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.

पुनश्चः–

आदेशानुसार आवेदक **विनोद पिता कालुसिंह मालीवाल, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम हसलपुर, तहसील महू** ने रूपये **1,00,000/–(एक लाख रूपए)** का सुपुर्दगीनामा मय शर्त के पेश किया।

विनोद

सुपुर्दगीदार की पहचान श्री सोनी अधिवक्ता के द्वारा की गयी।

सुपुर्दगीनामा बाद तस्दीक स्वीकार।

जप्तशुदा वाहन **मोटर सायकल कमांक एम.पी. 09 वी.यू 8263** उसके मूल स्वामी **विनोद पिता कालुसिंह मालीवाल, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम हसलपुर, तहसील महू** को वापस लौटाया जाकर प्राप्ति इस न्यायालय को अविलंब प्रेषित करने बाबद संबंधित थाना प्रभारी को पत्र लेख किया जाये।

प्रकरण पूर्वानुसार अभिलेखागार भेज जाये।

J. Rawat

जितेन्द्र रावत
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.